उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1
संख्या-58/2016/2605/92-1-2016-51(अधि0)/2015,
लखनऊ: दिनांक: 19 अगस्त, 2016

**कार्यालय-ज्ञाप**

वेतन समिति 2008 की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार राज्य कर्मचारियों के लिये सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) की व्यवस्था विषयक शासनादेश सं0-वे0आ0-2-773/दस-62(एम)/2008, दिनांक 05-11-2014 के प्राविधानों के अन्तर्गत गठित स्क्रीनिंग कमेटी की संस्तुतियों के अनुक्रम में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के अधोतालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित सहायक अभियंताओं को 16 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरान्त ए0सी0पी0 की व्यवस्था के अन्तर्गत तालिका के स्तम्भ-4 में उल्लिखित तिथि से स्तम्भ-5 में उल्लिखित ग्रेड वेतन रू0 7600 द्वितीय ए0सी0पी0 के रूप में अनुमन्य कराये जाने/न कराये जाने की श्री राज्यपाल स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

| क्र0 सं0 | नाम | पदनाम | द्वितीय ए0सी0पी0 की देयता की तिथि | ए0सी0पी0 की व्यवस्था के अन्तर्गत द्वितीय ए0सी0पी0 अनुमन्य किये जाने की तिथि/ग्रेड वेतन |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | श्री कृष्ण कुमार मिश्रा (यांत्रिक) | सहा.अभि. | 26-06-15 | श्री कृष्ण कुमार मिश्रा को दिनांक 26-6-2015 से द्वितीय ए0सी0पी0 के रूप में ग्रेड वेतन रू0 7600/- अनुमन्य किया जाता है। |
| 2 | श्री सत्येन्द्र बहादुर सिंह | सहा.अभि. | 10-02-10 | श्री सत्येन्द्र बहादुर सिंह को द्वितीय ए0सी0पी0 के रूप में दिनांक 10-02-10 से ग्रेड वेतन रू0 7600/- की अनुमन्यता, शासनोदश दिनांक 05-11-2014 के प्रस्तर-1 के उपप्रस्तर-14 के प्राविधानों के अनुसार उनके विरूद्ध प्रचलित अभियोजनों की कार्यवाही में अन्तिम निर्णय होने तक स्थगित रहेगी। |
| 3 | श्री योगेन्द्र नारायण चैधरी (विद्युत) | सहा.अभि. | 01-12-13 | श्री योगेन्द्र नारायण चैधरी को दिनांक 01-12-13 से द्वितीय ए0सी0पी0 के रूप में ग्रेड वेतन रू0 7600/- अनुमन्य किया जाता है। |

महेश कुमार गुप्ता
प्रमुख सचिव।

**संख्या-58 /2016/2605(1)/92-1-2016, तद्दिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3- वित्त नियंत्रक, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4- मुख्य अभियंता (पूर्वी/पश्चिमी), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5- संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
6- संबंधित सहायक अभियंता द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रा0अभि0विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
7- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

( राम रतन )
अनु सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in